Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड कर दुष्कर्म करने के आरोपी विजय को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 16000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

श्री नरेंद्र सिंह पंवार एडीजीसी जनपद बागपत

मुख्य आरक्षी रविंद्र कुमार कोर्ट पैरोकार थाना बडौत

अवगत कराना है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त विजय पुत्र विरेन्द्र निवासी पट्टी खोव्वा महावतपुर बावली थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 572/2018 धारा 452/354/354बी/376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 08.07.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विजय को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 16000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।

@baghpatpolice baghpatpolice Baghpat Police

प्रेस नोट

थाना छपरौली दिनाँक 08.07.24

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पताः-

रजत पुत्र सुधीर निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री रविन्द्र सैनी थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-का0 1006 नरसिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक 08.07.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 अवैध देशी तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना—बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सत्यम पुत्र ओमवीर निवासी मौ0 कमला नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

2-शौमीन पुत्र नूर मौहम्मद निवासी मौ0 कमला नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध देशी तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बडौत ।

2-उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना बडौत ।

3-है0का0 316 नागेन्द्र सिंह थाना बडौत

4-का0 545 मनीष कुमार थाना बडौत ।

5-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत ।

6-का0 1058 शरद यादव थाना बडौत ।

प्रेस नोट

थाना बालैनी   दिनाँक 08.07.2024

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त रिन्कू को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी / अभियुक्त का नाम व पता-

रिन्कू कुमार उर्फ कल्लू पुत्र किरण निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी बागपत ।

2- है0 का0 35 सुनील कुमार थाना बालैनी बागपत ।

प्रेस नोट

थाना रमाला **दिनाँक 08.07.2024**

थाना रमाला पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-धर्मवीर पुत्र सुखबीर निवासी इब्राहिमपुर माजरा थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-सचिन पुत्र रामपाल निवासी पट्टी खेडीवाल ग्राम किरठल थाना रमाला बागपत।

3-जमील हसन पुत्र अजमल निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री प्रियव्रत आर्य थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-है0का0 274 ब्रजेश कुमार रमाला जनपद बागपत ।

5-है0का0 251 अजय कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।